

मुकदमा नंबर 197/2019

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मूली देवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट		1 गोधसिंह पुत्र पनेसिंह
2. नाजीदेवी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		2 गुलाबसिंह पुत्र पनेसिंह
		3 बीजरामसिंह पुत्र पनेसिंह
		4 मोहनसिंह पुत्र पनेसिंह
		5 कूपसिंह पुत्र पनेसिंह
		6 उदयसिंह पुत्र पनेसिंह
		7 गोपालसिंह पुत्र पनेसिंह
		8 उन्द्रकर पुत्र पनेसिंह
		9 सुभाकर पत्नी शेरसिंह
		10 मदनसिंह पुत्र शेरसिंह
		11 विक्रमसिंह पुत्र शेरसिंह
		12 प्रकाशसिंह पुत्र शेरसिंह
		13 जगमालसिंह पुत्र शेरसिंह
		14 सजुकर पुत्र शेरसिंह
		विप्रार्थी सं. 12 से 14 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुभाकर पत्नी शेरसिंह जाति राजपूत निवासी बरिया भगसिंह तह0 पचपदरा।
		15 चुना पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी टापरा
		16. नेनूदेवी पत्नी खेताराम
		17. लक्ष्मणसिंह पुत्र खेताराम
		18. मांगीलाल पुत्र खेताराम
		19. अचलाराम पुत्र खेताराम समी जाति जाट निवासी भाखरीखेडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
		20. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।
		21. खरथाराम पुत्र हीराराम
		22. देवाराम पुत्र हीराराम
		23. हरचंद पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा

आदेश

दिनांक :- 22.8.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भाखरीखेडा पटवारी क्षेत्र टापरा मू-निरीक्षक क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 13 रकबा 0-09 बीघा किस्म गैर मु. ढाणी खसरा संख्या 14 रकबा 1-17 बीघा किस्म गैर मु. चारवाडा व खसरा संख्या 163/15 रकबा 106-10 बीघा किस्म बा. दौयम कुल रकबा 108-16 बीघा, खसरा संख्या 219/15 रकबा 8-8059 हैक्टेयर किस्म बारनी दौयम व खसरा संख्या 163/15 रकबा 8-4336 हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगद्दी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक / रीडर / 2022 / 729

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट मिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर मिजवाये।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बांसवाड़ा
दिनांक :- 22/8/22

उप खण्ड अधिकारी
(SDO) बांसवाड़ा



मुकदमा नंबर 197 / 2019

प्रार्थी	बनाम	विप्राथीगण
1. मूली देवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट		1 गोघसिंह पुत्र पनेसिंह
2. नोजीदेवी पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर (राज)		2 गुलाबसिंह पुत्र पनेसिंह 3 वींजराजसिंह पुत्र पनेसिंह 4 मोहनसिंह पुत्र पनेसिंह 5 कूपसिंह पुत्र पनेसिंह 6 उदयसिंह पुत्र पनेसिंह 7 गोपालसिंह पुत्र पनेसिंह 8 इन्द्रकंवर पत्नी पनेसिंह 9 सुआकंवर पत्नी शेरसिंह 10 मदनसिंह पुत्र शेरसिंह 11 विक्रमसिंह पुत्र शेरसिंह 12 प्रकाशसिंह पुत्र शेरसिंह 13 जगमालसिंह पुत्र शेरसिंह 14 संजुकंवर पुत्र शेरसिंह
		विप्राथी सं. 12 से 14 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुआकंवर पत्नी शेरसिंह जाति राजपूत निवासी वरिया भगसिंह तह0 पचपदरा।
		15 चुना पुत्र दयाराम जाति मेघवाल निवासी टापरा
		16. नेनूदेवी पत्नी खेताराम
		17. लक्ष्मणसिंह पुत्र खेताराम
		18. मांगीलाल पुत्र खेताराम
		19. अचलाराम पुत्र खेताराम सभी जाति जाट निवासी भाखरीखेडा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।
		20. राजस्थान राज्य भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।
		21. खरथाराम पुत्र हीराराम
		22. देवाराम पुत्र हीराराम
		23. हरचंद पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी भाखरीखेडा

आदेश

दिनांक :- 22.8.2022

उपर्युक्त प्रकरण मौजा भाखरीखेडा पटवारी क्षेत्र टापरा मू-निरीक्षक क्षेत्र जसोल तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 13 रकबा 0-09 बीघा किस्म गैर मु. ढाणी खसरा संख्या 14 रकबा 1-17 बीघा किस्म गैर मु. चारवाडा व खसरा संख्या 163/15 रकबा 106-10 बीघा किस्म बा. दौयम कुल रकबा 108-16 बीघा, खसरा संख्या 219/15 रकबा 8-8059 हैक्टेयर किस्म बारनी दौयम व खसरा संख्या 163/15 रकबा 8-4336 हैक्टेयर किस्म बारानी दौयम विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मददेनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।

क्रमांक / रीडर / 2022 / 729

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा

दिनांक :- 22/8/22



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बालोतरा